उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 04.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 04.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.12.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं: वूमेन पॉवर लाइन – 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा – 112, एम्बुलेंस सेवा – 108, चाइल्ड लाइन – 1098, स्वास्थ्य सेवा – 102, महिला हेल्पलाइन – 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 1076, साइबर हेल्पलाइन – 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इन केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

उक्त अभियान के तहत थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा स्वामी विवेकानंद इण्टर कॉलेज में जाकर बालक व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान तथा साइबर अपराधों के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा चौकी सौरा का किया गया आकस्मिक निरीक्षण एवं नव- पीआरवी व्यवस्था की व्यापक समीक्षा।

आज दिनांक 04.12.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा चौकी सौरा, थाना महोबकंठ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चौकी परिसर, अभिलेखों, ड्यूटी रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा चौकी की साफ–सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से परीक्षण किया गया।

क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित पुलिस स्टाफ से उनकी ड्यूटी, रात्रि गश्त, बीट व्यवस्था तथा अभियोगों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। कर्मियों को बीट गतिविधियों में सतर्कता, समयबद्ध निस्तारण, संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त एवं जनता के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षण उपरांत महोदय द्वारा महोबकंठ–बेलाताल रोड पर नव-व्यवस्थित नई पीआरवी का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने पीआरवी वाहन, उपकरण, वायरलेस सेट, स्टाफ की उपलब्धता एवं तत्परता की जांच की।

पीआरवी पर तैनात कर्मियों को हाईवे पर पैट्रोलिंग, सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित रिस्पांस, रात के समय सतर्कता एवं यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी महोदय ने टीम को उद्देशित करते हुए कहा कि—

- पीआरवी का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा जाए।
- किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान की जाए।
- असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी और आमजन के प्रति विनम्र व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
- सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने हेतु नियमित भ्रमण किया जाए।

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने 06 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पनवाड़ी श्री बलवान सिंह द्वारा थाना स्तर पर 03 टीमों का गठन किया गया था, गठित टीमों के द्वारा कुल 06 नफर वारण्टी अभियुक्तगणों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही वारण्टी उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रथम टीम-

1.उ0नि0 पवन गौड़ 2.आरक्षी रामकुमार तिवारी

द्वितीय टीम-

1.उ0नि0 दिनेश कुमार यादव 2.का0 श्याम कुमार

तृतीय टीम-

1.उ0नि0 सन्नय कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2.हे0का0 पवन सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण:-

1.हरगोविन्द पुत्र शीतल प्रसाद निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी सम्बन्धित मु०अ०सं० 7571/2024 व मु०अ०सं० 05/24 धारा 323/504/506/452/325 भादवि।

2. दद्दी ऊर्फ बृजराज पुत्र बालमुकुन्द निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु०अ०स0 1518/2021 व एनसीआर सं० 05/20 धारा 323/427 भादवि।

3.पवन पुत्र परशुराम निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु०अ०स0 587/2019 व एनसीआर सं० 59/2017 धारा 323/504 भादवि।

4.नरेंद्र पुत्र रामसेवक ऊर्फ लिंगी कुशवाहा, निवासी ग्राम बैटो थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु०अ0 सं० 6890/21 व मु०अ०सं० 76/2020 धारा 323/504/506 भादवि।

5.पुन्नू पुत्र हनू ऊर्फ हरिनारायण कुशवाहा, निवासी ग्राम बैटो थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु०अ० 6890/21 व मु०अ०सं० 76/2020 धारा 323/504/506 भादवि।

6.प्रेमचन्द्र पुत्र धर्मजीत लोधी, निवासी ग्राम अलीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु०अ०स0 267/21 धारा 379/504 भादवि।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 04.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम के वरि0 उ0नि0 कन्हैलाल यादव के द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त मु0नं0 3772/24 अ0सं0 39/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा से सम्बन्धित परमेश्वरी दयाल पुत्र सीताराम जोगी उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम दुलारा से व मु0सं0 42/19 अ0सं0 35/18 धारा 504/506 भादवि थाना महोबकंठ जनपद महोबा से सम्बन्धित वारण्टी सुरेन्द्र पुत्र लल्लू राजपूत उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम टोलापातर थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल 2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
3.कां0 नितिन कुमार 4.कां0 मनोज कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.परमेश्वरी दयाल पुत्र सीताराम जोगी उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2. सुरेन्द्र पुत्र लल्लू राजपूत उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम टोलापातर थाना महोबकंठ जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 04.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी टीम के व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा मुखिबर की सूचना पर ग्राम नगाराडाँग थाना अजनर जनपद महोबा से एक नफर वांछित अभियुक्त छत्तू राजपूत उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र खचोरी उर्फ खच्चू उर्फ खचोरा राजपूत निवासी ग्राम नगाराडाँग थाना अजनर जिला महोबा उम्र करीब 27 वर्ष को सम्बन्धित मु0अ0सं0 282/2025 धारा 79/115(2)/352/126(2) बीएनएस व 11/12 पाक्सो एक्ट में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना अजनर जनपद महोबा।

2.का0 हरीओम थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

छत्तू राजपूत उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र खचोरी उर्फ खच्चू उर्फ खचोरा उम्र करीब 27 वर्ष राजपूत निवासी ग्राम नगाराडाँग थाना अजनर जिला महोबा

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 04.12.2025

मीडिया सेल, महोबा